न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

विविध (भू–मापी) अपीलवाद संख्या–05/2017–18

फुल्य महतो, 2.सुरेन महतो, 3.श्रीपद महतो –बनाम– 1.नागेश्वर महतो, 2.बिरू गोप, 3.भईया गोप, 4.मगलु गोप)

आदेश

ा 14–फारम सं0 563

देश की म संख्या ोर तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
02/2022	इस अपीलवाद की कार्रवाई अपीलार्थी 1. प्रफुल्य महतो, 2. सुरेन महतो, 3. श्रीपद महतो के द्वारा अंचल अधिकारी, चास का भू–मापी वाद संख्या–27/2013–14 में दिनांक 21.11.2016 को पारीत आदेश के विरूद्ध दायर आवेदन पत्र के आधार पर प्रारम्भ किया गया। संबंधित पक्षों को नोटिस कर प्रतिउत्तर प्राप्त किया गया तथा अंचल अधिकारी, चास से मूल मापी अभिलेख की मांग की गयी। अपीलार्थी अपने आवेदन में कहा है कि विवाद में अंकित भूमि मौजा–नारायणपुर, थाना नं0–33, खाता नं0–56, प्लॉट नं0–1912, 1914 एवं 1915 से सम्बन्धित है, जो खतियान में चरकू कुमार के नाम से दर्ज था तथा भूतपूर्व जमींदार रणजीत सिंह थे, जो खेवट नं0–2 के अधिकारी थे विपक्षी नागेश्वर महतो, पिता–स्व0 उगन महतो के द्वारा भू–मापी हेतु अपने माता श्रीमति मालु महताईन एवं रवि महतो, पिता–श्री छुटु महतो के नाम से संयुक्त खरीदगी भूमि जिसका केवाला संख्या–3020 दिनांक 05.03.1963 है, के माध्यम से राधानाथ महतो, पिता–जगरनाथ महतो एवं शेख नेवाजी मियाँ, पिता–स्व0 अलाद्दीन मियाँ सभी के द्वारा संयुक्त रूप से रकवा–1.06¾ एकड़ भूमि कय कर दखलकार रहने के अलावे पंजीकृत केवाला सं0–1858 दिनांक 22.08.1974 से विक्रेता मकबूल मियाँ, पिता–मनू मियाँ, रकवा–15 डी0 एवं केवाला सं0–337 दिनांक 18.07.1972 के विक्रेता नियामत मियाँ, पिता–स्व0 अजीम मियाँ से रकवा–15 डी0 उक्त भूमि प्लॉट नं0–1915 से सम्बन्धित था। इस प्रकार कुल रकवा–1.36¾ एकड़ भूमि तीन केवाला दलील से प्राप्त किये। यह भी कहा है कि शेख नेवाजी, पिता–अजीम मियाँ के द्वारा मौजा–नारायणपुर के खाता नं0–56 के सभी प्लॉट जिसका मालिकाना हक चरकु कुमार, पिता–स्व0 चुनाराम कुमार था। पंजीकृत केवाला सं0–3954 दिनांक 06.05.1941 के माध्यम से भूमि खरीदगी कर लिये तथा नेवाजी मियाँ ने अपने अंश को पंजीकृत केवाला सं0–3760 दिनांक 19.03.1960 के माध्यम से बिना चौहद्दी के रकवा–66 डी0 भूमि राधानाथ महतो, पिता–स्व0 जगरनाथ महतो को बिक्री कर दिया एवं केवाला सं0–1858 दिनांक 22.08.1974 तथा केवाला सं0–337 दिनांक 18.07.1972 के माध्यम से जानू मियां के निःसंतान होने के कारण उनके छोटे भाई एवं भतीजे ने भूमि बिक्री किया तथा अंचल अधिकारी, चास के द्वारा न्यायिक दिमाग नहीं लगाये जाने के कारण अपील किया गया है साथ ही केवाला दलील में चौहद्दी नहीं रहने के बावजूद नक्शा बनाकर चिन्हित करने के कारण अपील किया गया है। अंत में भू–मापी वाद संख्या–27/2013–14 में दिनांक 21.11.2016 को पारीत आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया। विपक्षी सं0–1 नागेश्वर महतो के द्वारा दिनांक 19.12.17 के दिये गये प्रतिउत्तर में कहा गया है कि उक्त मापी वाद संख्या–27/2013–14 में विपक्षीगण के उपस्थिति में मापी किया गया है, जिसके कारण अपील करने का कोई औचित्य नहीं है इसके अलावे मापी के आठ महिना पूरा हो जाने के बाद अपील किया जाना भी	

(17)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

उचित नहीं है। साथ ही देरी (Delay) का कारण के बिना ही आवेदन दिये इसके कारण से भी अपील आवेदन अस्वीकृत करने योग्य है। इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि मौजा–नारायणपुर के खाता नं0–56 सिर्फ चरकू कुमार के नाम से दर्ज है तथा उसके कोई सह अंशीदार नहीं थे। चरकु कुमार उक्त खाता नं0–56, प्लॉट नं0–1912, रकवा–1.22½ एकड़ भूमि, प्लॉट नं0–1914, रकवा–2 डी0 भूमि, प्लॉट नं0–1915, रकवा–89 डी0, अर्थात कुल रकवा–2.13½ एकड़ भूमि के पंजीकृत केवाला सं0–3954 दिनांक 06.05.1941 के माध्यम से 1. शेख जानू मियां, पिता–स्व0 अजिम मियां, 2. शेख नेवाजी मियां, पिता–स्व0 अलाउद्दीन मियां को बिक्री किया गया। इसी प्रकार अपने अंश के 1.06¾ एकड़ भूमि को पंजीकृत केवाला सं0–3760 दिनांक 16.03.1960 के माध्यम से राधानाथ माहथा को बिक्री किया गया। पंजीकृत केवाला सं0–3020 दिनांक 05.03.1963 के माध्यम से उक्त प्लॉट में रकवा–1.06¾ एकड़ भूमि भोलू महताईन, पति–स्व0 उगन महतो (नागेश्वर महतो की माता) एवं रवि महतो, पिता–स्व0 छूटू महतो को बिक्री किया गया। जानू मियां निःसंतान थे परन्तु उनके दो भाई नियामत मियां एवं मनू मियां हुए जो उनके खरीदगी भूमि के हकदार इस पंजीकृत केवाला सं0–337 दिनांक 18.07.1972 को नियामत मियां ने भोलू महताईन, पति–उगन महतो को बिक्री कर दिये। पंजीकृत केवाला सं0–1858 दिनांक 22.08.1974 से प्लॉट नं0–1915 में ही भोलू महताईन, पति–उगन महतो को बिक्री कर दिए। इस प्रकार भोलू महताईन कुल रकवा–1.36¾ एकड़ भूमि हासिल कर ली जिसका प्लॉट नं0–1912, 1914 एवं 1915 था। आगे दर्शाते हैं कि जानू मियां निःसंतान होने के कारण उनके भाई नियामत मियां एवं मनू मियां का भूखण्ड हो गया। इसी प्रकार नियामत मियां के पत्नी फूटू बीबी हुई तथा फूटू बीबी ने खाता नं0–56 के प्लॉट नं0–1912, 1914 एवं 1915 में टूसिया देवी, पति–बिरू गोप एवं मंगली देवी, पति–किशून गोप उर्फ दहिया गोप को पंजीकृत केवाला सं0–6992 दिनांक 14.08.1985 से रकवा–20 डी0 भूमि बिक्री किया तथा क्रेता के नाम से दखल–कब्जा को देखते हुए म्यूटेशन भी हो गया एवं राज्य सरकार को लगान अदा कर रहे हैं। चरकू महतो के दूसरे अंशीदार महावीर महतो थे, जिनके द्वारा प्लॉट नं0–1912, 1914 एवं 1915 में रकवा–65½ भूमि मकबूल अंसारी, पिता–स्व0 मोनू अंसारी उर्फ मनू को पंजीकृत केवाला सं0–6980 दिनांक 24.05.1982 से बिक्री कर दिया। इसके बाद मकबूल अंसारी से प्लॉट नं0–1912, 1914 एवं 1915 के रकवा–38½ डी0 भूमि को टूसिया देवी एवं मंगली देवी को केवाला सं0–8135/1932 को बिक्री किया गया। पंजीकृत केवाला सं0–10783 दिनांक 09.12.1983 को प्लॉट नं0–1912, 1914 एवं 1915 में ही रकवा–27 डी0 भूमि मंगली देवी को बिक्री किया गया।

विपक्षी संख्या–2. बिरू गोप उर्फ दहिया गोप, 3. भैया गोप, 4.भक्तू गोप उर्फ भगलु गोप के द्वारा दिये गए प्रतिउत्तर में कहा गया है कि मौजा–नारायणपुर के खाता नं0–56, प्लॉट नं0–1912, 1914 एवं 1915 में तीन केवाला दलील क्रमशः केवाला सं0–6992 दिनांक 14.08.1985 से रकवा–20 डी0 भूमि फूटू बीबी, पति–स्व0 नियामतन मियां विक्रेता से 1. टूसा बाला देवी, पति–बिरू गोप, 2. मंगली देवी, पति–किशन गोप उर्फ बहिया गोप ने खरीदगी किया है। पंजीकृत केवाला दलील सं0–3509 दिनांक 11.06.1981 से प्लॉट नं0–1912, 1914 एवं 1915 में रकवा–38⅛ डी0 भूमि मकबूल अंसारी, पिता–स्व0 मनू अंसारी के द्वारा 1. टूसिया बाला देवी, पति–बिरू गोप, 2. मंगली देवी,

1" इंच = 330

(18)

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
पति–किशन गोप को बिक्री किया गया। इसी प्रकार खाता नं0–56, प्लॉट नं0–1912, 1914 एवं 1915 के रकवा–27 डी0 भूमि को मकबूल अंसारी ने पंजीकृत केवाला सं0–10782 दिनांक 09.12.1983 से मंगली देवी, पति–किशन गोप उर्फ भैया गोप उर्फ दहिया गोप ने खरीदगी करते हुए राज्य सरकार को लगातार लगान दे रहे हैं। अंत में अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। अंचल अधिकारी, चास के भू मापी वाद संख्या 27/13–14 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 05.10.2016 को पुलिस बल तथा उभय पक्षों की उपस्थिति में मापी किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सभी पक्षों को अपने–अपने केवाला के माध्यम से खरीदगी भूमि है तथा बिकी केवाला के चौहद्दी एवं दखल–कब्जा के आधार पर अंचल अमीन के द्वारा प्रशासन तथा पक्षकारों की उपस्थिति में मापी करते हुए नक्शा बनाया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा उभय पक्ष की उपस्थिति में मापी सम्पन्न करा दिया गया है। अंचल अधिकारी के मापी आदेश पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए अपीलवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 22/02/22 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास। 22/02/22 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	03 Set c.c.

Digitally signed by Jemes Surin
Date: 2023.01.02 13:12:28 +05:30
Location: 192.168.1.39